तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.78/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
30.9.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी पुरुषोतम माली पुत्र रावाराम जी माली, जाति–माली, निवासी– सुखधाम कॉलोनी, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म भाग्यलक्ष्मी एजेन्सी, सुखधाम कॉलोनी, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 20.10.2021 को फर्म भाग्यलक्ष्मी एजेन्सी, सुखधाम कॉलोनी, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता पुरुषोतम माली से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (VASANT Brand) का नमूना संख्या S-1493 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./683/Act/ 2021/780 दिनांक 29.10.2021 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया, लेकिन प्रतिवादी पुरुषोतम माली को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुआ। अतः प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 20.10.2021 को खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म भाग्यलक्ष्मी एजेन्सी, सुखधाम कॉलोनी, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर की हैसियत से प्रतिवादी पुरुषोतम माली पुत्र रावाराम जी माली उपस्थित मिलें, जो फर्म भाग्यलक्ष्मी एजेन्सी में आम जन को खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (VASANT Brand) का विक्रय करता है। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान फर्म भाग्यलक्ष्मी एजेन्सी की दुकान के अन्दर आमजन के विक्रय हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (VASANT Brand) के 30 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 ग्राम) में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की सूचना प्रतिवादी विक्रेता पुरुषोतम माली को गवाह अश्विन पुत्र शांतिलाल जी, जैन मन्दिर के पास, पिण्ड़वाडा के समक्ष प्रपत्र 5ए में भरकर दी व रसीद प्राप्त की। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने फर्म भाग्यलक्ष्मी एजेन्सी में आमजन के विक्रय हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (VASANT Brand) में से मिर्च पाउडर (VASANT Brand) के 4 पैक्ड पाउच (प्रत्येक 500 ग्राम) को वास्ते नमूना जांच क्रय किया एवं उसकी कीमत राशि रुपये 680/– (अक्षरे रुपये छः सौ अस्सी मात्र) प्रतिवादी विक्रेता पुरुषोतम माली को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा नियमानुसार तैयार प्रत्येक लेबल पर	

.....पेज दो पर

पीठा. जिला कलेक्टर
सिरोही–307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:12:49 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.78/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

प्रतिवादी विक्रेता पुरुषोतम माली व गवाह के हस्ताक्षर करवायें एवं स्वयं तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने हस्ताक्षर किये तथा खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (VASANT Brand) के क्रयशुदा चारों पैक्ड नमूना पाउचों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (VASANT Brand) के चारों नमूना कागजों को अलग–अलग कागज में लपेटकर विधिवत कार्यवाही करते हुए नियमानुसार सील चपडी किया और चारों नमूनों भागों को अपने में कब्जें में लेकर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता पुरुषोतम माली व उक्त गवाह के हस्ताक्षर करवाये व तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा स्वयं द्वारा हस्ताक्षर किये गये। तत्पश्चात् श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (VASANT Brand) के नमूना संख्या S-1493 का एक नमूना भाग श्री विश्वजीतसिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को दिनांक 21.10.20221 को जमा करवाया तथा शेष तीन नमूना भाग मय फार्म नं. 6 के बन्द लिफावा दिनांक 20.10.2021 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को जमा करवाया। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (VASANT Brand) की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./683/Act/2021/780 दिनांक 29.10.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (VASANT Brand) का नमूना संख्या S-1493 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी पुरुषोतम माली ने खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर S-1493 के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी पुरुषोतम माली पुत्र रावाराम जी माली द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (VASANT Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (VASANT Brand) के विक्रय हेतु प्रतिवादी पुरुषोतम माली पुत्र रावाराम जी माली, जाति– माली, निवासी– सुखधाम कॉलोनी, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म भाग्यलक्ष्मी एजेन्सी, सुखधाम कॉलोनी, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 20,000/– (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी पुरुषोतम माली को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 05.11.2024 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:12:49 IST
Reason: SelfAttested